न्यायालयः– उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :– चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 47 / 2021

घीसालाल पिता रामलालजी जाति तेली आयु वयस्क निवासी रामनगर, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. राजु लाल पिता कन्हैयालाल सुथार आयु वयस्क निवासी कोशल्या नगर निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. पुरुषोत्तम पिता करसन भाई पटेल आयु वयस्क निवासी मद्दा मोहल्ला भीलवाडा द्वारा अनिल कुमार पिता छीतरमल समदानी नि0 भीलवाडा
4. अशोक कुमार पटेल आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा हा0मु0 मद्दा मोहल्ला भीलवाडा द्वारा अनिल कुमार पिता छीतरमल समदानी नि0 भीलवाडा
5. अनिल कुमार पिता छीतरमल समदानी निवासी मद्दा मोहल्ला भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0 ––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– 1– दिलीप सोनावा – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – अधिवक्ता विपक्षी

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा प0ह0 निम्बाहेडा ए तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 400 के नये आराजी नं0 1416 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे स्वामित्व में चली आ रही है, जिसके पुराने साबिक आराजी नं0 2651 / 2642 / 2540 / 1086 रकबा 11 बिस्वा स्थित है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात जिसके नये आराजी नं0 1416 जिसके पुराने आराजी नं0 2651 / 2642 / 2540 / 1086 रकबा 11 बिस्वा थे उक्त पुरानी आराजीयात 11 बिस्वा मे से 2 बिस्वा भूमि राजुलाल पिता कन्हैयालाल सुथार द्वारा पुरुषोत्तम पिता करसन भाई पटेल निवासी भीलवाडा व अशोक कुमार पटेल निवासी निम्बाहेडा जरिये मुख्तियार नामा अनिल कुमार पिता छीतरमल समदानी नि0,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)

भीलवाडा से दिनांक 29/11/2007 को कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामांतरण संख्या 3729 दिनांक 20/08/2008 को राजुलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज हुआ, तथा राजुलाल से प्रार्थी ने अपनी पत्नि श्रीमति मांगीबाई पत्नि घीसालालजी तेली निवासी निम्बाहेडा के नाम से दिनांक 31/12/2010 को उक्त भूमि कय की जिसका जरिये विकाव नामांतरण संख्या 4464 दिनांक 23/01/2011 से प्रार्थी कि पत्नि मांगीबाई के नाम खातेदारी मे दर्ज चली आ रही हैं। मांगीबाई का देहान्त दिनांक 06/02/2014 को हो गया तथा प्रार्थी मांगीबाई का विधिक उत्तराधिकारी हैं, तथा पुराने आराजी नं0 2651/2642/2540/1086 रकबा 11 बिस्वा भूमि मे से 2 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय से प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के बजाए मुल खातेदार पुरुशोत्तम पिता करसन भाई पटेल निवासी भीलवाडा व अशोक कुमार पटेल निवासी निम्बाहेडा के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि उक्त नये आराजी नं0 1416 प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से खातेदारी में प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के नाम दर्ज नही कर पुरुषोत्तम पिता करसन भाई पटेल निवासी भीलवाडा व अशोक कुमार पटेल निवासी निम्बाहेडा के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर आराजी नं0 1416 की 2 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का अपनी पत्नि के साथ वक्त खरीद से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी ने अपने निवास हेतु मकान बना रखा हैं। इसलिए प्रार्थी नवीन राजस्व रेकार्ड में, पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के बजाए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज कर, तरमीम कर, इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का निम्बाहेडा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थी की पत्नी मांगीबाई पत्नी घीसालालजी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय से कय कर जमाबंदी 2058-2061 के खाता 465 पर आराजी नं0 3445/2651/2642/2540/1086 रकबा 2 बिस्वा खातेदार राजुलाल पिता कन्हैयालाल सुथार से खरीद होने से जमाबंदीयों में दाखला लगा हुआ है। राजुलाल द्वारा पूर्व मे खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ)

पुरुषोत्तम पिता करसन भाई पटेल निवासी भीलवाडा जरिये मुख्त्यार अनिल कुमार पिता छीतरमल समदानी नि0 भीलवाडा से क्रय किया जाकर नामांतरण संख्या 3729 दिनांक 20/08/2008 से राजुलाल के नाम जमाबन्दी मे अंकन किया हुआ है तत्पश्चात सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज प्रार्थी की पत्नी के नाम दर्ज आराजी रकबा को तत्कालिन खातेदार पुरुशोत्तम से पूर्व आधार वर्ष 2067-2070 के खाता नं0 356 पर नवीन आराजी नं0 1416 रकबा 0.6100 संयुक्त रुप से खाते दर्ज की गई। मिलान क्षेत्रफल से जांच किये जाने पर साबीक आराजी नं0 2642/2340/1086 मी0 रकबा 2 बिस्वा को मर्ज कर नवीन आराजी नं0 1416 रकबा 0.6100 मे सम्मीलीत किया गया है जो पूर्व रुपेण सही होना पाया गया तथा पूनः प्रार्थी की पत्नी मांगीबाई जो वर्तमान मे देहान्त हो चुकी है मृतक के नाम दर्ज होने के बाद विरासत की कार्यवाही पश्चात विधिक वारिसानो के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड मे निम्नानुसार प्रविष्ठी किया जाना उचित है।

आराजी नं0	रकबा	वर्तमान पृविष्ठी में खातेदार	प्रस्तावित पृविष्ठी मे खातेदार
1416	0.61	पुरुषोत्तम पुत्र करसन पटेल हिस्सा 9/98 जाति गुजराती निवासी भीलवाडा शेष बदस्तुर	श्रीमति मांगीबाई पत्नी घीसालाल तेली हिस्सा 4/98 तथा शेष हिस्सा पुरुषोत्तम पुत्र करसन पटेल हिस्सा 5/98 एवं शेष हिस्सा बदस्तुर

उक्त तरमीम किये जाने मे विपक्षी को की प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारो को जमाबंदी मिलान क्षैत्रफल नवीन नक्षा ट्रेस व पुराना नक्षा ट्रेस पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब व पटवारी हल्का निम्बाहेडा ए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से आराजी नं0 1416 प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, प्रार्थी की पत्नि मांगीबाई के नाम दर्ज नही कर पुरुषोत्तम पिता करसन भाई पटेल निवासी भीलवाडा व अशोक कुमार पटेल निवासी निम्बाहेडा के नाम दर्ज कर दी गई। अतः नवीन नक्षे एवं राजस्व रेकार्ड मे आराजी नं0 1416 की 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने से सही होगा।

कार्यालय ... निम्बाहेडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थी का मौके पर कब्जा नाप अनुसार सही हैं। इसलिए प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में अंकन दुरुस्त कर तरमीम किये जाने का तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)